प्ररूप "घ"

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

क्रमांकः-एफ1 6(1 3)भू0रा0/ग्रामीण/राजस्व/1 2/ दिनांकः.....

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

राजस्थान शिक्षण संस्थान लाखनी जरिये अध्यक्ष सुरजमल पुत्र कालूराम बाजिया जाति जाट निवासी लाखनी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के आवेदन पर, पहले से अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित कृषि भूमि का राजस्थान कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9(3) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार है : -

1.	आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	राजस्थान शिक्षण संस्थान लाखनी जरिये अध्यक्ष सुरजमल पुत्र कालूराम बाजिया जाति जाट निवासी लाखनी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचति जन जाति का सदस्य है	नही
3.	आदेश की संख्या तथा तारीख उपदर्शित करते हुये मूल संपरितर्वतन का प्रयोजन :	आदेश क्रमांक 1921-25/राजस्व दिनांक 12.8.10 (आवासीय प्रयोजनार्थ)
4.	संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन :	संस्थानिक प्रयोजनार्थ
5.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा : -	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नामः	ग्राम लाखनी ग्राम पंचायत लाखनी तहसील श्रीमाधोपुर
	(ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में):	खसरा नम्बर 482/5 रकबा 0.22 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टयर या वर्गमीटर में) टिप्पणी-अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का दर्शाते हुये राजस्व नक्शे का सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	खसरा नम्बर 482/5 रकबा 0.22 है0 सम्पूर्ण
6.	मूल संपरितर्वतन पर सदेय प्रीमियम की दर :	5/-रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से
7.	मूल आवेदन के साथ जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम चालान की संख्या तारीख सहितः	चालान नम्बर 158 दिनांक 12.07.2010 राशि 11000/-रूपये
8.	पुनरीक्षित संपरितर्वतन पर सदेय प्रीमियम की दर :	डी.एल.सी. अनुसार
9	चालान की संख्या तारीख सहित प्रीमियम के अंतर की जमा करायी गयी रकम	चालान नम्बर 622 दिनांक 15.03.2012 राशि 3998/-रूपये

10.	चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :	शून्य
11	चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :	शून्य
12.	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो :	इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ते हुये

13. उपुर्यक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा –
    1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वर्णित सड़कों में सड़को के मध्य से निर्धारित भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुये परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
    2. संपरिवर्तित भूमि का विक्रय/अन्तरण नियम 11 के अनुसार बिना प्राधिकृत अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
    3. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समहत कर हो जायेगा।
    4. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांकःप.6(6) राज-6/92पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 के अनुसार नक्शा पास होने से पूर्व निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावेगा।
    5. संबधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालन किया जावेगा।
    6. यदि प्रार्थी इंडियन रोड, कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक ..... /राजस्व/12 दिनांक : 9/6/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : –

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, सीकर
2. तहसीलदार श्रीमाधोपुर को नक्शा ट्रेस की प्रति सहित
3. सरपंच ग्राम पंचायत लाखनी पं.स.श्रीमाधोपुर
4. हल्का पटवारी बावडी तहसील श्रीमाधोपुर को भेजकर आदेश है कि राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिपोर्ट प्रेषित करे।
5. राजस्थान शिक्षण संस्थान लाखनी जरिये अध्यक्ष सुरजमल पुत्र कालूराम बाजिया जाति जाट पटवारी लाखनी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
6. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[See Rule 10(1)]

कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर

क्रमांकः संपरिवर्तन/2018/ दिनांकः–

पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश

राजस्थान शिक्षण संस्थान लाखनी जरिए अध्यक्ष श्री सूरजमल पुत्र श्री कालूराम बाजिया जाति जाट निवासी ग्राम लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर, के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित आवासीय प्रयोजनार्थ पूर्व में कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ से संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 10(1) के तहत संस्थानिक(शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:–

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम मय पिता/पति का नाम व पूरा पता	राजस्थान शिक्षण संस्थान लाखनी जरिए अध्यक्ष श्री सूरजमल पुत्र श्री कालूराम बाजिया जाति जाट निवासी ग्राम लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर			
2	क्या आवेदक अनु0 जाति/अनु0 जनजाति का सदस्य है	नहीं			
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क)ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील	लाखनी तहसील खण्डेला			
	(ख) भूमि का खसरा सं. एवं प्रत्येक ख0स0 का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	482/10 रकबा 0.03 है0			
	(ग) प्रत्येक ख0स0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0या वर्गमीटर में) टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख.सं.	कुल रकबा	संपरिवर्तन चाहा गया रकबा	संपरिवर्तित रकबा (वर्ग मीटर में)
		482/10	0.03 है0	300 वर्गमीटर	300 वर्गमीटर
4	मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय			
5	मूल संपरिवर्तन देय प्रीमीयम की दर	निर्धारित वर्गमीटर के अनुसार			
6	मूल संपरिवर्तन की चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	12 दिनांक 20.04.2010 राशि 1500 रूपयें			
7	वर्तमान संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक(शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ			
8	चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	109 दिनांक 24.08.2018 राशि 900 रूपयें			
9	चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम				
10	चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो , जमा कराई गई रकम				

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

11	क्या आवेदन नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	—
12	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हों	—

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :—

1. इण्डियन रोड़ कॉंग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों की पालना की जावेगी।
2. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पॉंच वर्ष की कलावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
4. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग संपरिवर्तित अकृषिक प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।
5. राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक प 6(6)राज–6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 एवं दिनांक 16.01.2012 यथा (संशोधित) की पालना सुनिश्चित की जावेगी तथा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 एवं संशोधित नियम 2016 तथा इस संबंध में जारी अन्य परिपत्रों/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

कमांक: संपरिवर्तन/18/1907–11 दिनांक:– 13.09.2018

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर।
2. तहसीलदार खण्डेला को पालनार्थ ।
3. पटवारी हल्का लाखनी को मय नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु ।
4. सरपंच /सचिव ग्राम पंचायत लाखनी।
5. आवदेक राजस्थान शिक्षण संस्थान लाखनी जरिए अध्यक्ष श्री सूरजमल पुत्र श्री कालूराम बाजिया जाति जाट निवासी ग्राम लाखनी तहसील खण्डेला जिला सीकर
6. रक्षित पत्रावली।

उप पंजीयक
खण्डेला (सीकर)

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- लाखनी
पटवार हल्का :- लाखनी
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- बावडी
तहसील :- खण्डेला
जिला :- सीकर

वर्ष :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 288
खाता संख्या पुराना :- 287

काश्तकार का नाम/पिता का नाम जाति निवास के पते सहित :-

(1) राजस्थान शिक्षण संस्थान ग्राम लाखनी तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज) हिस्सा- पूर्ण हैक्ट- 0.2500 खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
482/10	0.0300	गै.मु.आबादी	0.0300 0.00			
482/5	0.2200	गै.मु.आवादी	0.2200			
2 खसरे	2	0.2500	0.2500	0.00		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 23-May-2018

NIC

प्रमाणित प्रतिलिपि
P-35 कथांक 794
24/5/18